रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 1987/भाद्र 4, 1909
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 1987/BHADRAA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1987

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू./13/87

सार्वजनिक सूचना

फा. सं. 600/2104/875.अ.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-अ.अ.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अधीन,

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रति अदायगी/सा.सू. 9/87, दिनांक 30 मई, 1987 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक सं. 2104(ख) के अधीन "टिप्पणी" के लिए निम्नलिखित "टिप्पणी" प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

टिप्पणी :—यदि चमड़े के ऐप्रल का निर्यातक शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत लाभ उठाता है अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के तहत बन्ध पत्र के अधीन निर्माण करता है तथा वस्त्र निर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियां जैसे कि जिप/स्नैप/बटन/लाइनिंग/वेडिंग्ज आदि का निःशुल्क आयात करता है परन्तु तैयार चमड़ा अथवा चमड़े के रसायन का आयात नहीं करता, उसे स्रोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4.5 /. की घटी हुई दर पर प्रति अदायगी का लाभ दिया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना को अगस्त 1987 के 26 दिन से लागू हुआ समझा जाएगा।

कामेश्वरी सुब्रह्मणियन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th August, 1987

No. DRAWBACK|PN-13|87

PUBLIC NOTICE

F. No. 600|2104|87-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52| F. No. 602|2|70-DBK published in the Gazette of India (Extraordinary), dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK| PN-9|87 dated the 30th May, 1987 :—

For the "Note" under SS No. 2104(E), the following "Note" shall be substituted, namely :—

"Note :—In case the leather apparel exporter avails of the benefit under DEEC or manufacturing-in-bond under section 65 of the Customs Act, 1962 and imports duty free required inputs for garment manufacture, like Zips|Snaps|Buttons|Lining| Waddings etc. but not finished leather or leather chemicals, he shall be extended Drawback at the reduced rate of 4.5% of f.o.b. value."

This Public Notice shall come into force on the 26th day of August, 1987.

KAMESWARI SUBRAMANIAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987